

प्रेषक,

आयुक्त,
अलीगढ़ मण्डल अलीगढ़ एवं अध्यक्ष,
मण्डलीय समिति अलीगढ़ मण्डल।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र -2 समुदाय केन्द्र
प्रीति बिहार, नई दिल्ली।

पत्रांक: एस0टी0/एन0ओ0सी0/ /2016-17

दिनांक: 06-10-16


विषय-अलीगढ़ मण्डल में स्थिति माध्यमिक विद्यालयों को सी0बी0एस0ई0नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राजाज्ञा संख्या: 1916(1)/15-7-09-1 (299)/2007 दिनांक: 14-07-2009 के अनुपालन में मण्डलीय समिति की बैठक दिनांक: 30-09-2016 में लिये गये निर्णय के अनुसार एच0आर0इण्टरनेशनल स्कूल गौडा रोड मौजा नगला जगदेव परगना हसनगढ़ तहसील इगलास, अलीगढ़ को सी0बी0एस0ई0नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र में निम्न लिखित अंकित प्रतिबन्धों के अर्न्तगत अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने का निर्णय लिया गया है।

प्रतिबन्ध-

- 1- विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
- 2- विद्यालय की प्रबन्ध समिति में सम्बन्धित जिले का जिला विद्यालय निरीक्षक, सदस्य होगा।
- 3- विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनु0जाति/अनुसूचित जनजाति के मेधावी बच्चों के लिये सुरक्षित रहेंगे, और उनसे उ0प्र0माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिये निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जावेगा।
- 4- संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की माँग नहीं की जावेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सैन्ट्रल बोर्ड आफ सैकेन्डरी एजुकेशन नई दिल्ली /कॉन्सिल फार दि इन्डियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है, तो उस परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से उ0प्र0माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता और राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगी।
- 5- संस्था के शिक्षण तथा शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।
- 6- कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा निवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराया जायेगा।


PRINCIPAL
H.R. INTERNATIONAL SCHOOL
PEEPALI CROSSING,
GONDA ROAD,
ALIGARH


Manager
H.R. International School
Peepali Crossing, Aligarh Gonda
Nagla Jagdev, Aligarh

- 8- विधालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/ पंजिकाओ में रखा जावेगा।
- 9- विधालय में अग्नि शमन यंत्र स्थापित कर अग्नि शमन अधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे, तथा विधालय की भवन भूमि यदि विधालय के नाम न होतो विधालय के नाम कराये।
- 10- नेशनल बिल्डिंग कोड में प्रावधानिक सुरक्षा मानको का प्रमाण पत्र सम्बन्धित अभियन्ता से प्राप्त कर लिया जाय।
- 11- उक्त शर्तो में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन परिवर्द्धन नही किया जायेगा।

उक्त प्रतिबन्धो का पालन करना संस्था के लिये अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है, कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धो का पालन नही किया जा रहा है। अथवा पालन करने मे किसी भी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जाती है, तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापिस ले लिया जायेगा।

भवदीय,

८०

संयुक्त शिक्षा निदेशक,
अलीगढ़ मण्डल अलीगढ़

मण्डलायुक्त/अध्यक्ष
अलीगढ़ मण्डल अलीगढ़

कार्यालय संयुक्त शिक्षा निदेशक, अलीगढ़ मण्डल अलीगढ़

पृष्ठोंकन संख्या: एस0टी0/3406-13/2016-17 तद् दिनांक: 06-10-16
प्रतिलिपि- निम्नोक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1-प्रमुख सचिव, माध्यमिक शिक्षा उ0प्र0शासन, शिक्षा-7 अनुभाग लखनऊ।
- 2-मण्डलायुक्त, अलीगढ़ मण्डल अलीगढ़।
- 3-जिलाधिकारी, अलीगढ़।
- 4-शिक्षा निदेशक(मा0) उ0प्र0 18पार्क रोड, लखनऊ।
- 5-जिला विधालय निरीक्षक, अलीगढ़।
- 6-प्रबन्धक, सम्बन्धित विधालय।
- 7-गार्ड फाइल।

(अजय कुमार द्विवेदी) -
सचिव/सदस्य
संयुक्त शिक्षा निदेशक,
अलीगढ़ मण्डल अलीगढ़।

H.R.

Manager
H.R. International School
Peepali Crossing, Aligarh
Nagla Jagdev, Aligarh

D. M. R.
PRINCIPAL
H.R. INTERNATIONAL SCHOOL
PEEPALI CROSSING,
GONDA ROAD,
ALIGARH